भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 605

(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी मौसमों में उपयोग होने वाली सड़कें

605. श्री मलैयारासन डी.:

श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के गांवों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्यों और दायरे सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की विशेषताओं सहित विशेष रूप से तमिलनाडु के कल्लाकुरुचि और अरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमजीएसवाई के तहत बारहमासी सड़क संपर्क से वंचित गांवों की संख्या कितनी है और तमिलनाडु सहित राज्य-वार इन अंतरालों को किस समय-सीमा तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) पिछले तीन से पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत स्वीकृत , आवंटित और उपयोग की गई निधियों का तमिलनाडु सहित राज्य-वार और विशेष रूप से कल्लाकुरिची एवं अरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष रूप से बाढ़ संभावित , दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, विशेष रूप से तमिलनाडु के अरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों की स्वतंत्र गुणवत्ता संपरीक्षा कर रही है और यदि हाँ, तो ऐसी संपरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(च) विशेष रूप से कल्लाकुरुचि और अरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि पीएमजीएसवाई सड़कें दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों , बाढ़ संभावित क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए समावेशी और सुलभ हों; और

(छ) तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में महिलाओं , बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए पीएमजीएसवाई सड़कों को समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएसजीएसवाई- I) की शुरुआत एकबारगी विशेष कार्यकलाप के रूप में कोर नेटवर्क में निर्धारित जनसंख्या आकार (वर्ष 2001 को जनगणना के

अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों तथा हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों में 250+) की पात्र संपर्कविहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़कों के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान करना है ताकि ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाया जा सके। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित) में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 100 व्यक्ति तथा इससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। जैसे -जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि न केवल परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रुप में बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के माध्यम के रूप में भी इसकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सके। तदनुसार, वर्ष 2013 में, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 50,000 कि.मी. सड़क लंबाई के उन्नयन के लक्ष्य के साथ चुनिंदा थ्रू -रूटों तथा मुख्य ग्रामीण लिंकों के उन्नयन हेतु पीएमजीएसवाई-।। का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।।। का शुभारंभ वर्ष 2019 में बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर थ्रू-रूटों और मुख्य ग्रामीण लिंकों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए किया गया था।

सरकार ने, वर्ष 2024 में पीएमजीएसवाई-।V की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य जनगणना 2011 के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाली, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची- V, आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों, मरुस्थलीय क्षेत्रों) में 250 से अधिक आबादी वाली और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन 25,000 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। पीएमजीएसवाई-।V के पूरा होने की समय सीमा मार्च 2029 है। ये बस्तियाँ अपनी जनसंख्या में वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं।

पीएमजीएसवाई-। के तहत संड़क संपर्क प्रदान करने के लिए इकाई 'बसावट' है, न कि राजस्व ग्राम या ग्राम पंचायत या कस्बा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, पीएमजीएसवाई-। के माध्यम से तमिलनाडु सहित देश भर में सभी पात्र ग्रामीण बसावटों को एकसमान बारहमासी सड़क संपर्क प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। दिनांक 28.01.2026 तक, पीएमजीएसवाई-। ने एकसमान कवरेज का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया है, जिसमें देश भर में पहचान की गई 1,63,288 पात्र बसावटों में से केवल 541 बसावटों को ही सड़क संपर्क प्रदान करना शेष है। तमिलनाडु राज्य में , सभी 1,985 पात्र बसावटों को पहले ही पीएमजीएसवाई-। के तहत बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है। पीएमजीएसवाई- । के तहत सड़कों से जुड़ी बसावटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-।** में दी गई है।

पीएमजीएसवाई की मुख्य विशेषताएं

- विकेन्द्रीकृत, साक्ष्य आधारित आयोजना
- भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) और ग्रामीण सड़क नियम पुस्तिका के अनुसार मानक और विनिर्देश

- निर्धारित कार्यान्वयन तंत्र: राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) , राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) और परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां (पीआईयू)
- राज्य तकनीकी एजेंसियों , प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और एनआरआईडीए द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच
- निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सुदृढ़ आईटी प्रणाली (ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) , एनआईसी की सरकारी ई-खरीद प्रणाली (जीईपीएनआईसी) , पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईएमएआरजी) , भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) अनुप्रयोग)
- त्रि-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
- शिकायत निवारण तंत्र (मेरी सड़क ऐप)
- निधियों का निर्बाध प्रवाह
- ठेकेदार की कार्य निष्पादन गारंटी के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए रखरखाव कार्य शामिल है।

इस मंत्रालय में पीएमजीएसवाई के संबंध में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते। राज्य द्वारा साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार कल्लाकुरिची और अरणी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी सड़क संपर्कविहीन बसावट नहीं हैं।

पीएमजीएसवाई-।V के तहत किए गए बसावटों के सर्वेक्षण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (तमिलनाडु सहित) ब्यौरा **अनुबंध-।।** में दिया गया है। पीएमजीएसवाई- ।V के पूरा होने की समय सीमा मार्च 2029 है।

(ग): पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियों का आवंटन/निधियां जारी करना राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है और यह अन्य बातों के साथ-साथ , शेष कार्य, राज्य की कार्य निष्पादन क्षमता और उनके पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधि पर निर्भर करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए केंद्रीय अंश और किए गए व्यय (राज्य हिस्से सहित) का ब्यौरा **अनुबंध-।।।** में दिया गया है। इस मंत्रालय में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। जैसा कि राज्य द्वारा बताया गया है , पिछले पांच वर्षों के दौरान कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र और अरणी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित , जारी और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निर्वाचन क्षेत्र	**आवंटन (करोड़ रुपये में)**	**जारी राशि (करोड़ रुपये में)**	**व्यय (करोड़ रुपये में)**
कल्लाकुरिची	256.01	250.92	223.76
अरणी	263.16	263.16	199.12

(घ) और (ङ): बाढ़-प्रवण, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता और सुदृढता सुनिश्चित करने के लिए , पीएमजीएसवाई के तहत तीन स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र स्थापित किया गया है:

- गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र का पहला स्तर परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है।
- गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र का दूसरा स्तर पीआईयू से स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से सभी कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना है।
- तीसरे स्तर के तहत , राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी , यादृच्छिक रूप से चयनित , सड़क कार्यों के निरीक्षण हेतु , जिले/राज्य में सामान्य गुणवत्ता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) तैनात करती है।

गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के दूसरे और तीसरे स्तर के तहत स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं द्वारा समय-समय पर गुणवत्ता निरीक्षण किया जाता है। स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन की गई पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सुपरिभाषित ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखांकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है , जो तत्काल निगरानी करने में मदद करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने में पारदर्शिता लाती है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 (दिनांक 28.01.2026 तक) की अवधि के दौरान एनक्यूएम और एसक्यूएम द्वारा किए गए गुणवत्ता निरीक्षणों और उनके द्वारा दी गई असंतोषजनक ग्रेडिंग का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I V** में दिया गया है।

(च) और (छ): भारत सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-I को गरीबी कम करने की रणनीति के एक भाग के रूप में राज्यों की सहायता के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था , यद्यपि 'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय है। पीएमजीएसवाई क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और इस योजना का उद्देश्य लक्षित बसावटों की पूरी आबादी के लिए सड़क संपर्क की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। पीएमजीएसवाई कोई व्यक्तिगत/समुदाय केंद्रित योजना नहीं है। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तथापि, इस योजना में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए विशेष छूट दी गई है। इस योजना के तहत सड़क संपर्क प्राप्त करने के लिए अन्य बसावटों के लिए पात्रता मानदंड (पीएमजीएसवाई- I के तहत 2001 की जनगणना के अनुसार और पीएमजीएसवाई- I V के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार) 500 व्यक्तियों की आबादी है, जबकि जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों (जैसा कि गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा पहचान किए गए है) और उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए , 250 और उससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन बसावटें इस योजना के तहत बारहमासी सड़क संपर्क प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा , सरकार ने 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ' (डीए-जेजीयूए) और 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ' (पीएम-एजेएवाई) के सड़क संपर्क घटकों को पीएमजीएसवाई-I V के साथ अभिसरण के माध्यम से एकीकृत किया है। यह अभिसरण संरचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होती है। इस मॉडल के तहत, डीए-जेजीयूए के अंतर्गत चिन्हित उन सड़क संपर्कविहीन बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जिनमें कम से कम 50% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, या आकांक्षी जिलों में स्थित हैं और जिनकी जनसंख्या 250 या उससे अधिक है जिसमें अनुसूचित जनजाति के कम से कम 50 सदस्य शामिल हैं। इसी प्रकार , पीएम-अजय के तहत , ऐसी सड़क संपर्कविहीन बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जनगणना 2011 के अनुसार

जिनमें कम से कम 40% आबादी अनुसूचित जाति की है। उपर्युक्त के अलावा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का सड़क संपर्क घटक भी पीएमजीएसवाई के तहत एक अलग घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत कुल 8000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा।

पीएमजीएसवाई-IV के तहत, पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण में पहुंच मानकों को एकीकृत करने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश शामिल किए गए हैं जो समावेशिता को बढ़ावा देने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। कर्ब रैम्प , टेक्टाइल पेविंग और सुलभ पैदल यात्री क्रॉसिंग जैसी विशेषताएं न केवल दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती हैं , बल्कि सभी उपयोगकर्ता भी लाभान्वित होते हैं और साथ ही पैदल चलने वालों , साइकिल चालकों और मोटरगाड़ी चालकों के लिए भी सुरक्षा बढ़ाती हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि डीपीआर तैयार करते समय , "ग्रामीण सड़कों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पहुंच दिशानिर्देश" का पालन किया जाना चाहिए।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमजीएसवाई-I के तहत सड़कों से जोड़ी गई बसावटों का राज्य-वार ब्यौरा (दिनांक 28.01.2026 तक)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पात्र बस्तियाँ जुड़ी हुई (संख्या)
1	अंडमान और निकोबार	7
2	आंध्र प्रदेश	1,422
3	अरुणाचल प्रदेश	616
4	असम	13,719
5	बिहार	31,280
6	छत्तीसगढ़	10,628
7	गुजरात	3,047
8	हरियाणा	1
9	हिमाचल प्रदेश	2,555
10	जम्मू और कश्मीर	2,132
11	झारखंड	10,933
12	कर्नाटक	295
13	केरल	401
14	मध्य प्रदेश	17,493
15	महाराष्ट्र	1,417
16	मणिपुर	622
17	मेघालय	585
18	मिजोरम	231
19	नागालैंड	107
20	ओडिशा	16,991
21	पंजाब	389
22	राजस्थान	15,963
23	सिक्किम	350
24	तमिलनाडु	1,985
25	त्रिपुरा	1,979
26	उत्तर प्रदेश	11,748
27	उत्तराखंड	1,860
28	पश्चिम बंगाल	13,224
29	तेलंगाना	703
30	लद्दाख	64
कुल		**162,747**

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।।

राज्य सरकारों द्वारा पीएमजीएसवाई-।V के पात्रता मानदंडों के अनुसार जीएसएस एप्लीकेशन में सर्वेक्षण की गई बसावटें (दिनांक 29.01.2026 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों द्वारा अनुमोदित पात्र बसावटें	एनआरआईडीए द्वारा पीएमजीएसवाई।V के तहत विचार के लिए पात्र के रूप में अनुमोदित
अंडमान और निकोबार	0	0
आंध्र प्रदेश	413	201
अरुणाचल प्रदेश	192	184
असम	4623	3610
बिहार	103	93
छत्तीसगढ़	2692	1981
गुजरात	2624	2087
हिमाचल प्रदेश	1021	907
जम्मू और कश्मीर	2278	2276
झारखंड	2786	2335
कर्नाटक	85	53
केरल	2336	2211
लद्दाख	31	18
मध्य प्रदेश	9260	9177
महाराष्ट्र	196	119
मणिपुर	303	271
मेघालय	377	329
मिजोरम	63	63
नागालैंड	239	150
ओडिशा	2682	1676
पंजाब	1	1
राजस्थान	1740	1686
सिक्किम	283	237
तमिलनाडु	5	4
तेलंगाना	173	93

त्रिपुरा	435	435
उत्तर प्रदेश	2181	2100
उत्तराखंड	885	880
पश्चिम बंगाल	2862	1164
कुल	**40,869**	**34,341**

–

अनुबंध-।।।

लोक सभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।।।

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां और किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी राशि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी राशि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी राशि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी राशि	व्यय (राज्य अंश सहित)	जारी राशि	व्यय (राज्य अंश सहित)
1	अंडमान और निकोबार	0.00	3.78	9.22	5.45	12.22	7.51	12.22	22.93	0.05	3.97
2	आंध्र प्रदेश	53.20	396.75	50.00	508.86	644.13	748.63	140.64	368.03	507.32	370.60
3	अरुणाचल प्रदेश	952.31	1,429.61	1090.60	1,279.07	1018.74	1,246.99	339.90	320.09	609.00	726.10
4	असम	2516.62	2600.19	1591.50	2,488.03	664.91	1,118.21	391.29	571.22	79.24	264.76
5	बिहार	49.13	2173.52	375.00	1,992.99	1443.23	2,088.54	963.37	1,815.63	1195.44	2,312.80
6	छत्तीसगढ़	924.48	1985.94	394.41	1,902.34	995.87	1,057.35	401.77	388.09	325.24	413.71
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	79.08	133.32	195.50	400.16	266.63	492.19	298.41	330.33	220.65	361.22
9	हरियाणा	0.00	92.10	353.23	583.12	168.25	213.81	74.01	150.86	27.38	34.60
10	हिमाचल प्रदेश	745.24	1061.00	517.45	933.22	624.76	626.84	617.56	371.54	634.82	904.14
11	जम्मू एवं कश्मीर	1727.30	932.37	1328.34	1,485.28	717.00	1,114.78	1304.17	1,256.96	1028.25	1,070.58
12	झारखंड	293.50	1083.34	0.00	598.44	332.63	745.63	752.80	1,323.90	961.77	1,374.96
13	कर्नाटक	49.29	728.40	704.25	1,499.18	720.47	864.71	72.25	404.03	100.58	142.81
14	केरल	89.97	71.76	0.00	46.91	106.76	124.97	54.25	164.95	122.27	249.15
15	लद्दाख	50.00	514.73	140.79	109.66	109.97	107.81	37.50	30.44	113.81	111.33

16	मध्य प्रदेश	1099.54	2166.99	1392.25	2,419.14	1557.47	1,978.73	599.42	1,105.16	703.29	966.83
17	महाराष्ट्र	0.00	221.59	0.00	376.73	743.00	1,074.02	1110.80	1,507.37	854.93	1,524.10
18	मणिपुर	420.66	601.46	742.00	710.58	744.98	539.11	161.29	296.83	2.81	88.75
19	मेघालय	355.29	473.71	483.92	536.92	405.89	373.72	122.59	238.19	219.62	375.61
20	मिजोरम	1.59	277.32	74.34	332.86	584.20	315.94	141.37	381.62	87.50	45.78
21	नागालैंड	72.89	144.70	145.31	125.83	183.15	198.65	161.29	94.01	2.25	30.50
22	ओडिशा	774.29	1754.13	404.12	1,795.5	1235.88	2,088.9	1262.55	1,589.8	712.39	734.9
23	पुदुचेरी	0.00	0.00	11.66	0.00	24.72	27.08	0.27	11.89	25.00	-0.10
24	पंजाब	0.00	2.67	68.59	295.14	231.06	428.72	265.10	522.95	319.87	328.82
25	राजस्थान	237.15	492.13	917.51	1,452.64	199.90	372.38	404.79	633.09	450.46	933.32
26	सिक्किम	195.50	178.52	107.28	177.89	263.33	230.34	94.37	130.13	70.00	148.98
27	तमिलनाडु	265.38	626.92	440.00	1,169.56	613.70	532.36	411.36	777.78	638.66	741.43
28	तेलंगाना	0.00	288.59	86.38	410.80	321.43	345.32	296.9625	479.41	132.57	399.90
29	त्रिपुरा	69.57	99.25	73.88	202.93	267.59	152.90	185.03	112.64	172.75	98.07
30	उत्तर प्रदेश	123.90	440.19	1418.55	2,074.26	2068.57	3,267.32	2679.63	3,791.65	1968.60	2,704.11
31	उत्तराखंड	1536.27	1493.50	787.00	1,218.45	1297.16	1,350.02	551.05	800.68	815.50	934.09
32	पश्चिम बंगाल	969.31	1471.94	49.94	701.28	381.03	394.75	99.275	309.11	225.00	271.11
कुल		**13651.46**	**23940.42**	**13952.99**	**27,833.22**	**18948.61**	**24,228.27**	**14007.29**	**20,301.27**	**13327.03**	**18,666.94**

अनुबंध-I V

लोक सभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के भाग (घ) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-V

अप्रैल 2024 से दिनांक 28.01.2026 तक एसक्यूएम और एनक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या और उनके द्वारा दी गई असंतोषजनक ग्रेडिंग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम)		राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम)	
	निरीक्षण की संख्या	असंतोषजनक (%)	निरीक्षण की संख्या	असंतोषजनक (%)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	29	24.1	8	25.0
आंध्र प्रदेश	1281	2.5	277	2.2
अरुणाचल प्रदेश	1233	4.1	209	38.3
असम	2775	4.8	365	22.7
बिहार	7122	14.4	689	19.9
छत्तीसगढ़	3813	0.8	571	7.9
गुजरात	1092	7.2	66	16.7
हरियाणा	397	9.8	65	16.9
हिमाचल प्रदेश	2659	19.1	285	23.9
जम्मू एवं कश्मीर	1953	11.8	222	13.5
झारखंड	2406	2.1	598	19.4
कर्नाटक	1324	2.2	139	11.5
केरल	679	9.6	133	15.8
लद्दाख	214	4.2	30	3.3
मध्य प्रदेश	6383	6.8	571	8.6
महाराष्ट्र	2040	1.7	488	8.2
मणिपुर	58	5.2	111	45.0
मेघालय	621	6.4	218	22.9
मिजोरम	329	11.6	75	41.3
नागालैंड	60	13.3	72	45.8
ओडिशा	4120	27.2	685	32.0
पुदुचेरी	28	3.6	0	0
पंजाब	903	5.9	129	14.73
राजस्थान	1516	9.9	286	3.85
सिक्किम	350	2.6	75	21.33
तमिलनाडु	2764	4.2	253	9.88
तेलंगाना	524	1.3	229	17.47

त्रिपुरा	308	21.1	87	19.54
उत्तर प्रदेश	5587	4.8	677	12.11
उत्तराखंड	2087	20.3	291	26.46
पश्चिम बंगाल	2498	20.8	358	18.44
कुल	**57153**	**9.8**	**8262**	**17.57**
